न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या-40/2019-20

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

कनक महतो बनाम सभ्या देवी

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता – कनक महतो, पिता–विश्वनाथ महतो, ग्राम–वारूहातु, पो०–दानाडीह, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुर्मी, पेशा–खेती वारी।

क्रेता का नाम एवं पता – सभ्या देवी, पति–विरेन्द्र महतो, ग्राम–वारूहातु, पो०–दानाडीह, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुर्मी, पेशा–खेती वारी।

विद्वान अधिवक्ता का नाम – श्री कालीपद महतो।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–19/06/19 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत क्रेता सभ्या देवी, पति–विरेन्द्र महतो, ग्राम–वारूहातु, पो०–दानाडीह, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुर्मी, पेशा–खेती वारी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री की अनुमति माँगी हैः–

भुमि की विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
वारूहातु	सोनाहातु	60	203	1199	0.14 डी०
				1209	0.12 डी०
				1217	0.11 डी०
				1234	0.10 डी०
				1348	0.13 डी०
					कुलः 0.60 ए०

उक्त आवेदन के आलोक में अचंल अधिकारी, सोनाहातु से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, सोनाहातु का पत्रांक–300(ii) दिनांक–07/08/19 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

(1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत का नाम सुरजन महतो वल्द चैतन महतो है।

(2) विक्रेता स्वयं पंजी–II रैयत है, तथा खतियानी रैयत के पोता लगते है।

(3) पंजी–II के अनुसार रैयत का नाम शिवनाथ महतो वगैरह है।

(4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2018–19 तक वसूली गयी है।

(5) विक्रेता जमाबंदी रैयत के पोता लगते है, तथा 1932 के सर्वे अनुसार जमाबंदी कायम है।

(6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन कायमी किस्म की है।

(7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास लगभग 05.17 ए० भूमि शेष रह जाएगा।

(8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को इलाज हेतु बिक्री कर रहे है।

(9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो कुर्मी जाति के सदस्य है।

(10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही थाना के निवासी है, एवं एक जिला के अन्तर्गत है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, सोनाहातु ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत विक्रेता कनक महतो, पिता–विश्वनाथ महतो, ग्राम–वारूहातु, पो०–दानाडीह, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुर्मी, पेशा–खेती वारी, को क्रेता सभ्या देवी, पति–विरेन्द्र महतो, ग्राम–वारूहातु, पो०–दानाडीह, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुर्मी, पेशा–खेती वारी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक–12/07/2019 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नही की है।

अतः अंचल अधिकारी, सोनाहातु के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता कनक महतो, पिता–विश्वनाथ महतो, ग्राम–वारूहातु, पो०–दानाडीह, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुर्मी, पेशा–खेती वारी, को क्रेता सभ्या देवी, पति–विरेन्द्र महतो, ग्राम–वारूहातु, पो०–दानाडीह, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुर्मी, पेशा–खेती वारी, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा–46(i)b के तहत दी जाती है। तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नही करेंगें।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
वारूहातु	सोनाहातु/60	203	1199	0.14 डी०
			1209	0.12 डी०
			1217	0.11 डी०
			1234	0.10 डी०
			1348	0.13 डी०
				कुलः 0.60 ए०

लेखापित एवं संशोधित।

21/08/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता।

बुण्डू।

21/08/19

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता।

बुण्डू।